प्रपत्र VII

आदेश–पत्र के लिए फार्मेट

(नियम 18 देखें)

र्थ अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश सह विशेष उत्पाद कोर्ट–II,गोपालगंज

नं0–**कुचायकोट काण्ड स0**–335/2018 सरकार बनाम् **विजय राम**

अभियुक्त का नाम–**शंकर राम**

2.उम्र–**.47.** वर्ष

3.पिता का नाम–**रामप्रसाद राम**

4.पता–सा0–**रतनपुरा** थाना– **गोपालपुर** जिला–**गोपालगंज**

5.गिरफ्तारी की तिथी समय और स्थान–**_करमैनी रेलवे ढाला के पास_** दिनांक–**08.11.2018** समय–**17:30** बजे

6.पुलिस/उत्पाद पदाधिकारी द्वारा जॉच रिपोर्ट समर्पित करने की तिथि–**09.11.2018** पुलिस/उत्पाद पदाधिकारी द्वारा समर्पित उपर उल्लिखित जॉच रिपोर्ट का अवलोकन किया। आज पुलिस/उत्पाद पदाधिकारी द्वारा उक्त अभियुक्त को प्रस्तुत किया गया है। मै एतद्द्वारा बिहार मधनिषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 (संसोधित अधि0 2022) की धारा–37 के अधीन संज्ञान लेता हूँ।

अभियुक्त के विरूद्व आरोप है कि उसने दिनांक–**08.11.2018** को अल्कोहल का उपभोग किया था और वह **_करमैनी रेलवे ढाला के पास** से पकडा गया जिससे सम्पुट हुआ कि उसने अल्कोहल/शराब का उपभोग किया था। उपर्युक्त आरोप अभियुक्त को पढ़कर समझाया गया। मैने उसका बयान दर्ज किया है।

अभियुक्त से पूछा गया कि क्या वह दोषी होने का अभिवचन करता है। मैने अभियुक्त को यह समझाया है की वह दोष मानने के लिए बाध्य नही है। ~~उसे सोचने समझने और पुनः विचार करने हेतु पुलीस अभिरक्षा से विरत कर 4 घंटा का पुनः विचार हेतु समय दिया जाता है।~~

एक घंटे पश्चात अभियुक्त पुनः अपने दोष को स्वीकार करता है और कहता है की वह बिना किसी दबाव, लोभ एवं लालच के प्रभाव में नही है। और वह अपना दोष स्वीकार करता है। सूना मैं अभियुक्त को बिहार मध निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 (संसोधित अधि0 2022) की धारा–37 के अधिन दोषी पाता हूँ। इसलिए अभियुक्त को बिहार मध निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 (संसोधित अधि0 2022) की धारा–37 के अधीन 3700 रूपये की राशि के भुगतान करने या उक्त **जुर्माने की राशि के भुगतान में चूक होंन पर..30. दिनों के कारावास भोगने का दंडादेश दिया जाता है।** अर्थदण्ड की राशी भुगतान करने के पश्चात कार्यालय अभिलेख को अभिलेखागार में जमा करें।

तिथिः– राष्ट्रीय सौर तिथि–30 कार्तिक 1945
यानि 21 नवम्बर 2023 ई0
स्थानः–गोपालगंज

चतुर्थ अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश सह
विशेष उत्पाद कोर्ट–II,गोपालगंज।
21 नवम्बर 2023 ई0